संख्या–1169/दस–सं0 वि–97–2/97

प्रेषक,

श्री वी0 के0 मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 1997

विषय :–शासकीय वाहनों के उपयोग सम्बन्धी नई नीति के अनुसार राजकीय कोष में प्रति वाहन राशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश ।

महोदय,

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग

राजकीय व्यय में मितव्ययता के परिपेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी किये गये शासनादेश संख्या–315/दस–सं0 वि0 मित0–2/97, दिनांक 19 मार्च, 1997 में शासन द्वारा लिये गये निर्णयों से अवगत कराया गया था तथा यह अपेक्षा की गई थी कि इन निर्णयों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2––उक्त शासनादेश में वाहनों के उपयोग के अन्तर्गत यह स्पष्ट निर्देश थे कि प्रत्येक अधिकारी द्वारा जिसे वाहन आवंटित है, रु0 250/- प्रति माह प्रति वाहन (कार के सम्बन्ध में) तथा रु0 200/- प्रति माह प्रति वाहन (जीप के सम्बन्ध में) राजकीय कोष में जमा किया जायेगा । निर्देश के अनुसार यह राशि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने वेतन से राजकीय कोष में जमा कराई जानी थी किन्तु इस सम्बन्ध में वाहन के उपयोग के परिपेक्ष्य में शासनादेश के अनुसार राजकोष में प्रति वाहन प्रति माह अपेक्षित धनराशि कदाचित सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जमा नहीं की जा रही है । अतः शासन द्वारा इस सम्बन्ध में पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुये यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं कि दिनांक 19 मार्च, 1997 के शासनादेश में निर्दिष्ट निर्णयों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

3––जैसा कि उक्त निर्देशों में स्पष्ट किया गया है, वाहनों के उपयोग के अधिकार, उक्त उल्लिखित धनराशि के राजकीय कोष में जमा कराये जाने के उपरान्त, सम्बन्धित अधिकारी को एक माह में 200 कि0 मी0 तक राजकीय वाहनों के निजी उपयोग के लिये मिल जायेंगे । किन्तु यदि निजी उपयोग की सीमा किसी माह में 200 किलोमीटर से अधिक होती है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा 3 रु0 प्रति किलोमीटर प्रति वाहन की दर से धनराशि देय हो जायेगी ।

4––उपरोक्त शासनादेश के परिपेक्ष्य में कृपया यह पुष्टि की जाय कि अपने अधीनस्थ विभागों, स्थानीय निकायों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में उक्त शासनादेश में दिये गये निदेशों का, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है तथा समस्त अधिकारियों के, जिनके द्वारा राजकीय वाहन उपयोग में लाये जा रहे हैं, वेतन से अपेक्षित धनराशि की कटौती नियमित रूप से की जा रही है और जिसे राजकीय कोष में जमा भी किया जा रहा है ।

भवदीय,
वी0 के0 मित्तल,
प्रमुख सचिव ।

सं0–1169 (1)/दस सं0 वि0–97–मित0–2/97, तद्दिनांक

प्रतिलिप शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों, विशेष सचिवों को (दस अतिरिक्त प्रतियों सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन विभिन्न विभागों और अपने विभाग से सम्बन्धित स्थानीय निकायों निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों आदि को इस शासनादेश की प्रतिलिपि भेजकर सुनिश्चित कर लें कि उनमें भी इसका कड़ाई के साथ पालन किया जाय ।

आज्ञा से,
पी0 उमाशंकर,
सचिव, वित्त ।

संख्या-1169 (2)/दस-सं0 वि0-97-मित0-2/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

2--समस्त कोषाधिकारी ।

3--समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों,/स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक ।

4--महालेखाकार 1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

5--समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

पी0 उमाशंकर,

सचिव, वित्त ।

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 77 सा0 वित्त0--(1010)--1997--2,000 (मैक0) ।